International Journal of Humanities and Social Science Research
ISSN: 2455-2070; Impact Factor: RJIF 5.22
www.socialsciencejournal.in
Volume 2; Issue 12; December 2016; Page No. 106-107

सुशासन और उसकी चुनौतियाँ

डॉ. सी. के. भगत
राजनीति विज्ञान विभाग, बिरसा कॉलेज, खूँटी, राँची विश्वविद्यालय, राँची, झारखंड, भारत

सारांश
सुशासन का अर्थ होता है अच्छा शासन जिसमें नागरिक चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, समुदाय या वर्ग से आते हो या वह किसी भी लिंग के हो, वह बिना किसी भेद–भाव के अपनी पूर्ण क्षमता का विकास कर सके। चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में सुशासन के विषय में राजा के गुणों का वर्णन किया है। उनके अनुसार– ''अपनी प्रजा की खुशी में उसकी खुशी होती है, उसके कल्याण में अपना कल्याण समझता है। जिसमें उसे खुद को खुशी मिलती है, उसे वह अच्छा नहीं समझता। किन्तु जिस किसी भी बात से प्रजा को खुशी होती है, उसे वे उत्तम समझता है।'' आचार्य चाणक्य के ये कथन सुशासन की संकल्पना को परिभाषित करते है। ऐसा शासन जहाँ जनता के कल्याण या सुख को ऊपर रखा जाता है।
परन्तु आज के दौर में सुशासन स्थापित करने में बहुत सारी चुनौतियाँ है, जिसे विस्तार से उल्लेख किया गया है। साथ ही कैसे राज्य में सुशासन लाया जाए इसका भी उल्लेख किया गया है।

मूल शब्दः सुशासन, उसकी चुनौतियाँ, चाणक्य ने वर्णन किया

प्रस्तावना
शासन का अर्थ होता है किसी भी देश या राज्य पर राज करना और उन देशवासियों की देख–रेख करना जो वहाँ रहते है। किसी भी शासन को एक अच्छा शासक बनने के लिए ईमानदार, वफादार और जागरूक होना चाहिए। किसी शासक को पहले अपने देश फिर अपनी जनता और उसके बाद अपने बारे में सोचना चाहिए।
सुशासन का अर्थ होता है अच्छा शासन। शैक्षणिक क्षेत्र में शासन का अर्थ होता है अपनी शक्तियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों की देक्ष–रेख करना और नीति का निमार्ण करना। सुशासन शब्द सामाजिक विज्ञान की सभी शाखाओं जैसे– राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र आदि से जुड़ा हुआ है।
सुशासन मूल्यों का समान अर्थ है जिसके द्वारा सरकार के शासन को जाना जाता है। सुशासन का अर्थ है अपने देश और देशवासियों को उन्नत बनाना। सुशासन को कई राजनीतिज्ञों ने परिभाशित किया मगर इसकी ठोस परिभाशा नहीं है। हाँ इसके कुछ नियम है जैसे – सहभागिता, कानून का शासन, विचार (फैसले) में खुलापन और पारदर्शिता, अनुमान और प्रभावशीलता आदि।
सुशासन का मुख्य नियम है सहभागिता। एक अच्छा शासक वो है जो लोगों को जागरूक बनाये उन्हें अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में बताए और एक अच्छा नागरिक वो है जो अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें और अपने कर्तव्यों का पालन करें।
सुशासन का दूसरा मुख्य नियम हे फैसले में पारदर्शिता। पारदर्शिता का अर्थ होता है मुफ्त सूचना, जो यह तय करता है कि सूचना हर उस व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए जो इससे
प्रभावित होता है सुशासन का तीसरा मुख्य नियम है कानून का राज जो मानव अधिकारों की रक्षा करता है सुशासन के लिए शासक को शिक्षित तथा प्रभावशाली होना चाहिए। उसे सबके विकास के बारे में सोचना चाहिए। परन्तु यह बहुत कठिन है क्योकि सुशासन के रास्ते में अनेक चुनौतियाँ खड़ी हो उठती है।

शोध प्रविधि
प्रस्तुत शोध आलेख विश्लेशणात्मक एवं वर्णनात्मक प्रकृति की है। शोध आलेख के लिए प्राथमिक एवं द्वितीय दोनों प्रकार के स्त्रोतों का उपयोग किया गया है। इसके लिए मुख्यतः प्रकाशित ग्रंथ, पत्र – पत्रिकाओं में छपे वितरण, निबंध एवं लेख तथा विभिन्न शोध ग्रंथों को अध्यनन का आधार बनाया गया है।

सुशासन की मुख्य चुनौतियाँ
किसी भी देश को तरक्की करने के लिए उसे प्राकृतिक संसाधनों में समद्ध होना आवश्यक नहीं है और प्राकृतिक संसाधनों से जीवन की उच्च गुणवता की गारंटी नहीं है। बल्कि इसके विपरीत ये बहुत हद तक एक अच्छे शासन पर निर्भर करता है लेकिन किसी भी राश्ट्र में शासन में उत्कृश्टता का कोई जादुई फार्मूला नहीं है बल्कि समाज को आर्थिक रूप से जीवंत बनाने के लिए और राजनैतिक रूप से उन्नत बनाने के लिए कई कारकों को संगठित होना पड़ता है।

1. शांति और स्थिरता
किसी भी देश में जब तक युद्ध को बढ़ावा देने वाले कारक जैसे– जातिय दंगे, धार्मिक दंगे, आपसी संघर्श को रोका न जाए तक तक जीवन, स्वतंत्रता और सम्पत्ति की रक्षा नहीं की जा सकती है, मानव गरिमा को पदोन्नत और उम्मीदों की सुरक्षा नहीं की जा सकती है। जीवन में शांति और स्थिरता का होना बहुत आवश्यक है। एक और मुख्य कारक है सड़क
अपराध जिसका दर काफी उच्च है। यहाँ के लोगों का सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है यदि यहाँ के लोगों को बिना डर के जीने की आजादी नहीं है तो यह एक विफल राष्ट्र है।

2. गरीबी से निपटना
हमारे देश के लिए गरीबी एक बहुत बड़ी समस्या है। किसी भी सभ्यता को उच्च गौरव प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि वह वह अकाल, भूखमारी ओर कुपोशण से अपने राज्य का बचाव करे, आवश्यक वस्तुओं की प्रचुर मात्रा में आपूर्ति सुनिश्चित करे और बुनियादी वस्तुओ एवं सेवाओं की कीमतों को नियंत्रित करे। पिछले पाँच दशक में आर्थिक नितियों ने गरीबी को सफलतापूर्वक संभालने की कोशिश की है और देश ने आर्थिक उन्नति और व्यवसायिक गतिशीलता के लिए अविश्वसनीय अवसर भी प्रदान किये है। हालांकि इन सब में प्रमुख कारण है विभिन्न वर्गो में धन का असमान वितरण जो धनी को धनी और गरीब को गरीब बनाता हैं। सरकारी तथा निजी क्षेत्र दोनों में ही धन का समान वितरण होना चहिए।

3. नियंत्रण और संतुलन
किसी भी देश में अच्छे शासन के लिए सरकार को नियंत्रित और संतुलित होना चाहिए। देश में चारें तरफ कानुन का शासन होना चाहिए। राज्य में स्वतंत्र लोकपाल प्रणाली होनी चाहिए जो आम

जनता द्वारा संचालित हो। सभी वर्गों में एक संतुलन होना चाहिए जिससे कोई ऊँच नीच का भाव नहीं हो। देश में एक स्वतंत्र चुनाव आयोग, मानवाधिकार आयोग
होना चाहिए जो राजनीतिक पार्टी और आम जनता को नियंत्रित करे और उसमें संतुलन बनाए रखे।

4. नौकरशाही

सुशासन के लिए एक प्रभावी सरकारी प्रबंधन, उचित पदानुक्रम और प्रभावी सरकारी सेवाओं का वितरण अति आवश्यक है। हालांकि बहुत हद तक प्रशासनिक दक्षता में सुधार
किया गया है, फिर भी सरकारी क्षेत्र में संरचनात्मक और मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण और मरम्मत की आवश्यकता है। जो एक तरह का असंतुलन है और जिसके विचार में खुलापन और पारदर्शिता की कमी है जैसे – किसी भी सरकारी दफ्तर में आवेदनों में कुछ अनुचित देरी हो जाती है तो कर्मचारी को हाथ गर्म करने का बहाना मिल जाता है।
स्वतंत्र लोकपाल और सूचना का अधिकार अधिनियम की स्वतंत्रता के अभाव में गैर जिम्मेदार चरित्र के अधिकारी जो सरकार का आर्दश है संवेदनशील कार्य को भी गैर जिम्मेदारी से निभाते हैं हालांकि उच्च नेताओं का मानना है कि अच्छा सिस्टम अच्छा परिणाम देता है।
हम अपने संरचनाओं और प्रक्रियाओं को सुधार लाने के लिए लगातार पैसा खर्च करते हैं लेकिन हम उस ओर ध्यान देना जरूरी नहीं समझते है कि क्या सिस्टम जितना अच्छा है वो लोग भी इतने अच्छे है जो इस सिस्टम को संचालित करते हैं।

5. भ्रष्टाचार

हर समाज में राश्ट्रीय व्यय का एक बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचार ने निगल लिया है।आज हर जगह भ्रष्टाचार मौजूद है चाहे कोई बड़ा नेता हो, चाहे कोई उच्च अधिकारी हो चाहे वह कोई छोटा कर्मचारी हो। जिस देश पर शासन करने वाला नेता भ्रष्ट हो, जिस देश का उच्च अधिकारी भ्रष्ट हो उस देश का उत्थान कैसे हो सकता है आज किसी भी कार्य को करने के लिए सरकार पैसा देती है, सुविधा देती है मगर उसका सही इस्तेमाल नहीं होता है वह जरूरत मंदो तक नहीं पहुँच पाता है ऐसे में हमारा देश जैसा का तैसा रह जाता है और हम वहीं के वही रह जाते हैं।

6. सरकारी और निजी क्षेत्र की भागीदारी

निजी क्षेत्र की शक्ति का उपयोग और निजी उद्योग को प्रोत्साहित करना हमारे देश का एक सराहनीय नीति है। निजि क्षेत्र में लोग उस ऊँचाई तक पहँचते है, जहाँ तक वो पहुँचना चाहते हैं। अर्थव्यवस्था के इस प्रयोग से देश का विकास होता है और लोगों में एकता का भावना पैदा होता है।

7. लोकतांत्रिक राजनीति प्रणाली

एक स्थायी लोकतंत्र के लिए बहुमत का समर्थन होना आवश्यक है लेकिन अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा भी होनी चाहिए। एक संविधान और कानून में अधिकारों के उल्लंघन के लिए उचित नियमों का एक ठोस आयाम होना चाहिए।
एक संविधान में मानव अधिकारों के लिए सम्मान, नागरिकों के अधिकार की जानकारी, एक निश्पक्ष चुनावी प्रक्रिया, एक मुक्त लेकिन निश्पक्ष मीडिया आदि का होना अति आवश्यक है।

8. नेतृत्व और मानव पूँजी

एक अच्छे सरकार को यह समझना चाहिए की एक सफल ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था शिक्षा के माध्यम से ही मिल सकता है। मानव पूँजी का विकास एक बड़े सार्वजनिक निवेश पर निर्भर करता है इसलिए उद्योगों में ऐसा वातावरण होना चाहिए जहाँ उद्यमी गतिविधियाँ आसानी से की जा सके। मजदूरों के लिए सारे उचित व्यवस्था हो और वहाँ का वातावरण उनके अनुकूल हो।

9. महिलाओं का राजनीति में भाग नहीं लेना

सुशासन की मुख्य चुनौती है सामाजिक उत्थान। यह कहा जा सकता है कि सुशासन में महिलाओं की भागीदारी काफी जरूरी है, लेकिन महिलाओं की कम भागीदारी चिन्ता का एक विशय है। हमारे संविधान ने पुरूश और महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया है, लेकिन कई सामाजिक कारणों के कारण वह भाग नहीं ले पाती हैं। इसके लिए राजनीतिक पार्टी को मुख्य भूमिका निभानी होगी, उसे महिलाओं को आगे बढ़ाना होगा।

निश्कर्श

ऐसा माना जाता है कि सुशासन समाज के सारे समस्याओं का हल कर सकता है। सुशासन का तथ्य स्थायी नहीं है बल्कि वह समय– समय पर परिवर्तित होता है और सुशासन का यह गुण इस समय की और जनता की माँग है। सुशासन ऐसे वातावरण को बनाने में मदद करता है जिससे हमें आर्थिक उन्नति मिलेगी और हमारे देश का विकास होगा। सुशासन की मुख्य चुनौती है सामाजिक उत्थान और कल्याण।

अन्ततः

सुशासन को ऐसे नेताओं की आवश्यकता है जो जोखिम उठाने के लिए तैयार रहे और दूसरों को भी प्रेरित करे। अपने देश के भलाई के लिए कुछ भी करे किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो।

संदर्भ सूचि

1. भागेल, सी0 एल0 योगेन्द्र कुमार (2006) गुड गभरनेन्स कॉनसेप्ट एण्ड एप्रोचेज, कनिश्का प्रकाशन, नई दिल्ली।
2. भातवाल, सी0पी0 (1993) पब्लिक एडमिनिस्ट्रेश्ज्ञन इण्डिया, रीट्रोस्पेक्ट – प्रोस्पेक्ट, आशीश प्रकाशन, नई दिल्ली।
3. भट्टाचार्या, एम0 (1990) रिस्ट्रकचरिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन –निबंध रिहैबिलीटेशन।
4. बीजू, एम0 आर0 (2007) गुड गभरनेन्स एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन प्रैक्टिस, मित्तल प्रकाशन, नई दिल्ली।
5. जैन, आर0 बी0 (2004) पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इण्डिया (21st सेन्चुरी चैलेनजेज फॉर गुड गभरनेन्स) दीप एण्ड दीप प्रकाशन, नई दिल्ली।
6. पाण्डेय, सुची और शेखर सिंह (2007) राईट टू इनफोरमेशन एक्ट 2005, ए प्रिमियर नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली।
7. सिन्हा, मदन, गोपाला, अरूम कुमार उपाध्याय (2003) गुड गभरनेन्स इन इंडिया, कनसेप्ट प्रैक्सि, वाराणसी।